जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी-2011 दिनांक 21/7/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा इन्दिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "अशोक विहार ई" के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री आशीष जैन पुत्र स्व. श्री भागचन्द जैन	06	900

पूर्व में उक्त भूखण्ड संख्या–5 का आवंटन पत्र श्रीमती आशा मित्रा पत्नी श्री भीमसेन मित्रा के पक्ष में जारी किया गया। उक्त भूखण्ड जरिये इकरारनामें के द्वारा उक्त भूखण्ड को श्री मोहम्मद हुसैन कुचे को दिनांक 30.8.2001 के द्वारा विक्रय किया गया। उक्त भूखण्ड–5 को समिति द्वारा संशोधन कर भूखण्ड संख्या–6 कर दिया गया, जिसका नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन, सहायक/उप रस्ट्रिार (सहकारिता) के पत्र क्रमांक 4880 दिनांक 12.7.2003 के द्वारा श्री मोहम्मद हुसैन कुचे पुत्र श्री गुलाब नबी कुचे का नाम कर दिया गया। श्री मोहम्मद हुसैन कुचे द्वारा भूखण्ड संख्या–6 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2006 के द्वारा भूखण्ड संख्या–6 को श्रीमती किरण सेठी पत्नी श्री कौशल कुमार सेठी एवं श्री प्रशान्त भण्डारी पुत्र श्री जयन्ती लाल भण्डारी को विक्रय कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2022 के द्वारा श्रीमती किरण सेठी पत्नी श्री कौशल कुमार सेठी एवं श्री कौशल कुमार सेठी पुत्र स्व. श्री ज्ञानचन्द सेठी ने उक्त भूखण्ड को श्री आशीष जैन पुत्र स्व. श्री भागचन्द जैन को विक्रय कर दिया गया है। जबकि वास्तविक रूप से भूखण्ड संख्या–6 की लीजडीड हेतु श्री आशीष जैन पुत्र स्व. श्री भागचन्द जैन ने आवेदन किया है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना "अशोक विहार ई" के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री आशीष जैन पुत्र स्व. श्री भागचन्द जैन निवासी–625, सुखिया गेट नं. 1 के पास, मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

PRO/R-959
21/7/22

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1544 दिनांक 18.7.2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	41	बसन्त बहार	श्री अशोक कुमार रमानी, श्री प्रकाश रमानी एवं श्री कन्हैयालाल रमानी पुत्रान श्री सुन्दर लाल	श्रीमती पारवनी पत्नी श्री वासूमल	सोसायटी आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं पंजीकृत विक्रय पत्र

18.07.22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. श्री अशोक कुमार रमानी, श्री प्रकाश रमानी एवं श्री कन्हैयालाल रमानी पुत्रान श्री सुन्दर लाल निवासी– बी–41, बसन्त बहार कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

18.07.22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

PRO/R-955
21/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

Com-2/D-Letter

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी– 4644

दिनांकः– 20/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा / नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफजल (व.ग.) में	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण / लीज डीड / फ्री होल्ड लीजडीड / अन्य
1.	सी–337	288.00 व.मी.	श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री वी.पी. सिंह	जविप्रा	ट्रासंपोर्ट नगर विस्तार योजना	फ्री होल्ड लीजडीड
2.	डी–469	306.00 व.मी.	श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री वी.पी. सिंह	जविप्रा	ट्रासंपोर्ट नगर विस्तार योजना	फ्री होल्ड लीजडीड
3	बी–253	195.00 व.मी.	श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री वी.पी. सिंह	जविप्रा	ट्रासंपोर्ट नगर विस्तार योजना	फ्री होल्ड लीजडीड
4	सी–77	288.00 व.मी.	श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री वी.पी. सिंह	जविप्रा	ट्रासंपोर्ट नगर विस्तार योजना	फ्री होल्ड लीजडीड
5	डी–22	488.85 व.मी.	श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री वी.पी. सिंह	जविप्रा	ट्रासंपोर्ट नगर विस्तार योजना	फ्री होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–
1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–13
ज.वि.प्रा, जयपुर

PRO R-950 21/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष91–141–2569795 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1524 दिनांक 20/7/22

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 21 सरिता विहार(जय अम्बे गृ.नि.स.स.) का श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन द्वारा पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। सोसायटी द्वारा भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री भंवर लाल कुमावत को जारी किया गया हैं। मूल आवंटी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूखण्ड का बेचान श्री महेन्द्र कुमार जैन एवं श्री मनोज कुमार जैन को संयुक्त रूप से किया हैं। तत्पश्चात् श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 02.10.2017 को हो गयी। श्री महेन्द्र कुमार जैन द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती सम्पत लता जैन के पक्ष में निष्पादित किया गया है। श्रीमती सम्पत लता जैन द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र आवेदक श्री मनोज कुमार जैन के पक्ष में किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदिका के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-953
21/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1370 दिनांक 20/7/22

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा निम्नानुसार गृह निर्माण सहकारी समिति/जविप्रा स्कीम का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र.सं.	आवेदन कर्ता का नाम	गृ.नि.स.स./जविप्रा स्कीम	लीजधारक/आवंटी का नाम
1	2	3	4
1	श्री धनश्याम अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल	भूखण्ड संख्या 4/247, विधाधर नगर	श्री दिलीप कुमार
2	श्रीमती प्रेरणा हापावत पत्नी श्री मनोहर सिंह	सैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राधा गोविन्द कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 176ए	लीजधारक श्रीमती मंगेज देवी पत्नी श्री केसर दान
3	श्रीमती ज्योति पत्नी श्री बलवीर सिंह देवल	सैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राधा गोविन्द कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 176	
4	श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह देवल	सैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राधा गोविन्द कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 176बी	

इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद–मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टे जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन–4/2022/डी–1574 दिनांक 21-7-2022.

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजत् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	30	हथरोई गढ़ी	कृष्णापुरी जगतपुरा	श्री कैलाश चन्द, श्री रामजी लाल, पुत्रान श्री गोरधन लाल	श्री गोरधन लाल पुत्र श्री गोविन्दराम कलाल	लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.2002 एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 26.09.2005 मूल आंवटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीदें आदि प्रस्तुत किये है।
2	537–ए	न्यू पिंकसिटी	सिद्धार्थ नगर–ए	1.श्रीमती अनिता पत्नी श्री अशोक कुमार	श्री राज किशोर पुत्र श्री दौलतराम गुरनानी	आवंटन पत्र दिः 25.04. 2018/अपंजीकृत इकरारनामा दिः 05.03.1994 एवं 31.03.2001 आदि प्रस्तुत किये हैं।
3	19	सिन्धु	छत्रसाल नगर	श्री राजबीर शंखवार पुत्र श्री टोडरमल	श्री ललित कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा दिः 01.09.2003 आदि।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

PRO/R 954 21/7/22

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–6 / 22 / डी– 2207 दिनांक :– 21.7.22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भू. सं.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स. –एस–12सी (दक्षिणी भाग)	4एस माचडा (मोती भवन गृनिसस)	श्रीमति अचरज शर्मा पत्नी श्री नाथूराम शर्मा	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	भूखण्ड के कय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेजता गुम हो जाने के सम्बन्ध मे।
2.	भू.स.–बी–74	4बी जमनापुरी (मोती भवन गृनिसस)	श्रीमती मधुमती गोयल पत्नी स्व.श्री राधेश्याम गोयल	श्रीमति अयोध्या देवी पत्नी श्री राधेश्याम गोयल	वसीयत प्रकरण के सम्बन्ध मे।
3.	भू.स.–सी –644सी (दक्षिणी भाग)	4 सी माचडा (मोती भवन गृनिसस)	श्रीमति सुदेश यादव पत्नी श्री ओमप्रकाश यादव	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रूधाराम	मूल दस्तावेजात् प्रस्तुत करने के सम्बन्ध मे।
4.	भू.स.–7 ख.न.374	बजरंग कॉलोनी (निजी खातेदारी)	श्री विजयसिंह जितेन्द्र सिंह व गोर्वधन सिंह	श्री कानाराम पुत्र श्री गोपीराम	शपथ पत्र व कुर्सीनामा के आधार पर।
5.	भू.स. बी–49	जविप्रा (महात्मा ज्योतिबा फुल रि. व्या.)	श्रीमती राधा पत्नी श्री मदनलाल धनवन्त व मीना	श्री मदनलाल धनवन्त	मृत्यु के आधार पर ।
6.	भू.स. बी–19	जयश्री नगर (संयुक्त गृनिसस)	श्री मनीष कुमार सैनी पुत्र श्री भोलाराम सैनी	श्री सूरजमल पुत्र श्री लच्छूराम	मृत्यु के आधार पर ।
7.	भू.स. बी–09	वीके–प्रथम (दीं कृष्णा गृनिसस)	श्रीमती विमला कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता	सदस्य सूची मे नाम अंकित नही है।
8.	भू.स. बी–6ए	प्रेमनगर (निजी खातेदारी)	श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री राधामोहन शर्मा	श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री राधामोहन शर्मा	स्वामित्व सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट करने के आधार पर।
9.	भू.स. ए–91	तारानगर–ए (म्युचुअल हा. को–ऑपरे सो.लि.)	श्री विजेन्द्र कुमार कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश कौशिक	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश कौशिक	मृत्यु के आधार पर नाम हस्तान्तरण।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

PRO/R-957 21/7/22

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-2570256.} : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:{7118}:
ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी– 2208. दिनांक :– 21/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स.–11	श्रीशिवानगर (स्कीम नं.04) (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्रीमति बेबी कंवर पत्नी कालू सिंह	श्रीमति भंवर पत्नी श्री माधोसिंह शेखावत	भूखण्ड अनुमोदित योजना मानचित्र मे सृजन के सम्बन्ध मे।
2.	भू.स.–29	फतेह कॉलोनी (सिन्धु नगर गृनिसस)	श्रीमती शान्ति देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री रामजीलाल खण्डेलवाल	श्रीमति सुशीला शर्मा पत्नी श्री सर्वमुख शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-958
21/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा/जोन—11/2022/डी-2005 दिनांक 21/7/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा इन्दिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "अशोक विहार—डी" के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री सत्यनारायण बागोरिया पुत्र श्री बाबूलाल बागोरिया	डी—44ए	158.69

प्रकरण में समिति द्वारा जारी रिवाईज्ड सूची में भूखण्डधारी का नाम अंकित है। परन्तु उप रजिस्टार से प्रमाणित सदस्यता सूची में भूखण्डधारी का नाम अंकित नहीं है। अतः भूखण्डधारी का नाम सदस्यता सूची में दर्ज करवाने एवं लीजडीड जारी किये जाने हेतु श्री सत्यनारायण बागोरिया पुत्र श्री बाबूलाल बागोरिया ने आवेदन किया गया है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना "अशोक विहार—डी" के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज कार्यालय उपायुक्त जोन—11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री सत्यनारायण बागोरिया पुत्र श्री बाबूलाल बागोरिया निवासी— बैरवों का मोहल्ला, ग्राम पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-960
21/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1542 दिनांकः 21/7/22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह द्वारा योजना–के–5–सी स्कीम, के भूखण्ड संख्या–154–बी फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, अपंजीकृत मुखत्यारनाम, इकरारनामा आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–के–5–सी स्कीम, के भूखण्ड संख्या–154–बी का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

PRO/R-971
21/7/22

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1525 दिनांकः– 20/7/2022

आम–सूचना

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि निजी खातेदारी की योजना वैशाली एस्टेट–बी विस्तार के भूखण्ड संख्या बी–200 को दो हिस्से उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में उप विभाजन कर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु श्री जगवीर सिंह जाखड पुत्र श्री प्रेमसिंह जाखड़, निवासी– 1477, ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर–46, गुडगॉव, हरियाणा–122001 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रकरण में मूल भू.स. बी-200 क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज की लीजडीड मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि0 जरिये निदेशक श्री विनोद गोयल के नाम जारी किया गया ा लीजडीडधारी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती राज श्री फौजदार पत्नी श्री सहदेव सिंह फौजदार को बैचान किया गया ा इसके बाद श्रीमती राज श्री फौजदार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री जगवीर सिंह जाखड पुत्र श्री प्रेमसिंह जाखड को बैचान किया गया ा

अतः वर्तमान में भू.सं. बी–200 को दो हिस्से उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में उप विभाजन कर नाम हस्तान्तरण प्रार्थी श्री जगवीर सिंह जाखड के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

Sd/-

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्री जगवीर सिंह जाखड पुत्र श्री प्रेमसिंह जाखड़, निवासी– 1477, ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर–46, गुडगॉव, हरियाणा–122001 को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर में आठ (8) के फोन्ट साईज में ही करवाकर अखबार की प्रति प्रस्तुत करें और साथ ही भूखण्ड के प्रति वर्तमान में कोई वाद–विवाद नहीं हैं तथा भविष्य में होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी का तस्तदीक शुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें।

PRO/R-972
21/7/22

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2021 / डी– 1523 दिनांक 20/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या ए–94 योजना वैशाली नगर का नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने हेतु श्री सुमित मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मीणा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड का आवंटन श्री बंशीलाल अरोड़ा पुत्र श्री सोहन मल को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री बंशीलाल अरोड़ा द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में पंजीकृत मु.आम एवं अपंजीकृत वसीयत श्री नीरज गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश के पक्ष में निष्पादित किया गया। इसके पश्चात श्री नीरज गोयल द्वारा बहैसियत मुख्तयारआम उक्त भूखड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कृष्ण कुमार झरवाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह को विक्रय किया गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण कुमार झरवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय अपंजीकृत इकरारनामा से श्रीमती सुशीला मीणा पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह को किया गया, उक्त अपंजीकृत इकरारनामा को कलेक्टर मुद्रांक के यहॉ मुद्रांकित करवाया हुआ है। इसके पश्चात श्रीमती सुशीला मीणा द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत उपहार पत्र के माध्यम से श्री सुमित मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह को उपहार किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक श्री सुमित मीणा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-973
21/7/22

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.........1522 दिनांक.........20/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ0नि0स0समिति** की योजना – **कुबेर नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम– लालरपुरा तहसील जयपुर	125/1 128	3.0225 0.9738	1. घासीलाल पुत्र महादेव हिस्सा –17/79 जाति– जाट सा. देह खातेदार 2. छोटीलाल पुत्र महादेव हिस्सा –135/632 जाति– जाट सा. देह खातेदार 3. नन्दादास पुत्र नारायण हिस्सा –113/316 जाति– धनका सा. देह खातेदार 4. नानछीलाल पुत्र महादेव हिस्सा –135/632 जाति– जाट सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-966
21/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जयपुर जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक **28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3** के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd,

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

3. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

PRO R-966
2/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या D-15/6 दिनांक 20/7/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **मित्र गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना बी. एस विहार**, के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला जयपुर	331	0.2276	1. भगवानसहाय पुत्र दूला हिस्सा– पूर्ण जाति– मीणा सा. देह खातेदार।

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

PRO/R-967 21/7/22

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

नोटिस आज दिनांक....20/7/2022.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd,

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-967
21/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या D-1513 दिनांक 20/7/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **हथरोई गढ़ी गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना अलंकार विहार ए.** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीणावाला जयपुर	408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 418/499	1.0876 0.0632 0.4553 0.1391 0.8094 0.3541 0.6576 0.0632 0.0632 0.0759 0.8220 0.3162	1. घासी पुत्र तुलसा हिस्सा– 1/3 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 2. जयराम पुत्र जुगला हिस्सा– 1/3 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 3. धापा पत्नी स्व. ठँडया हिस्सा– 1/12 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 4. प्रभाती पत्नी स्व. जगदीश नारायण हिस्सा– 1/24 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 5. मोहनलाल पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा– 1/24 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 6. रामनाथ पुत्र ठँडया हिस्सा– 1/12 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 7. रामनारायण पुत्र ठँडया हिस्सा– 1/12 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार

PRO/R-968 21/7

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या D-1511 दिनांक 20/7/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बुनियादी गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना माँ इन्द्र विहार सी,** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बड़ारामा जयपुर	301	8.6628	1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 2. नेहरू गृह नर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर हिस्सा– 11/684 रजि. न. 2764 एल खातेदार 3. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा– 1/2 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 4. विजय कुमार शर्मा पुत्र शंकर लाल शर्मा हिस्सा– 5/171 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 5. शंकरलाल शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा हिस्सा– 10/171 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 6. संजीव कुमार चौधीर पुत्र रणधीर सिंह हिस्सा– 10/171 जाति– जाट सा. देह खातेदार 7. सुनील कुमार शर्मा पुत्र बद्रीप्रशाद हिस्सा– 5/171 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार 8. सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र चौधरी रामचन्दर हिस्सा– 10/171 जाति– अहीर (यादव) सा. देह खातेदार

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd/.
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

967 21/7/22

उपायुक्त जोन–7
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PS/JR-970
27/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1379 दिनांक 21/7/22

विज्ञप्ति

जविप्रा में ईशान चन्द्र मुखर्जी चेरीटेबल ट्रस्ट जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आलोक मुखर्जी एवं श्री अरूप मुखर्जी पुत्रान श्री अवनी कुमार मुखर्जी द्वारा ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयुपर के खसरा नं 255/252 क्षेत्रफल रकबा 2473 वर्ग मीटर भूमि का जविप्रा अधिनियम धारा 54 ई के तहत पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, राजस्व जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई जमाबंदी में खसरा नं. 255/252 क्षेत्रफल 2473 वर्ग मी. जविप्रा के नाम दर्ज है। प्रस्तुत की गई अन्तिम चौसाला आधार संवत 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019 अनुसार) भूमि के कास्तकार श्री अरूप मुखर्जी एवं आलोक मुखर्जी अंकित है।

अतः सर्वसाधारण को जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदकों ईशान चन्द्र मुखर्जी चेरीटेबल ट्रस्ट जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आलोक मुखर्जी एवं श्री अरूप मुखर्जी पुत्रान श्री अवनी कुमार मुखर्जी द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयुपर के खसरा नं 255/252 क्षेत्रफल रकबा 2473 वर्ग मीटर भूमि का जविप्रा अधिनियम धारा 54 ई के तहत पट्टा जारी करने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद–मियाद आवेदकों के पक्ष में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-952
21/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 4048 दिनांक– 21.7.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए–281	305.73 व.ग.	रॉयल एनक्लेव (निजी खातेदारी)	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	मूल पट्टा विलेख गुम होने एवं F.I.R दर्ज होने के आधार पर बेचान पर।
2	ए–282	233.33 व.ग.	रॉयल एनक्लेव (निजी खातेदारी)	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	मूल पट्टा विलेख गुम होने एवं F.I.R दर्ज होने के आधार पर बेचान पर।
3	ए–283	243.09 व.ग.	रॉयल एनक्लेव (निजी खातेदारी)	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	श्री विनित गंगवाल पुत्र श्री एम.के. गंगवाल	मूल पट्टा विलेख गुम होने एवं F.I.R दर्ज होने के आधार पर बेचान पर।
4	सी–116	88.88 व.ग.	विनायक रेजीडेन्सी	श्रीमती रीना जैन पत्नी श्री विनित गंगवाल	श्रीमती रीना जैन पत्नी श्री विनित गंगवाल	मूल पट्टा विलेख गुम होने एवं F.I.R दर्ज होने के आधार पर बेचान पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

Sd/-

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-951
21/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 1535 दिनांक 21/7/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी व गैर खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **टेगोर गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना– शिव विहार डी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी व गैर खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
लालरपुरा जयपुर	79 80	0.4047 0.6703	1. आनीलाल पुत्र बोदु हिस्सा– 1/6 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 2. फूलाँ पुत्री बोदु हिस्सा– 1/6 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 3. बाबूलाल पुत्र बोदु हिस्सा– 1/6 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 4. बिरदा पुत्र कल्या हिस्सा– 1/10 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 5. भूरी पुत्री कल्या हिस्सा– 1/10 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 6. मन्नी पुत्री कल्या हिस्सा– 1/10 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 7. रामू पुत्र कल्या हिस्सा– 1/10 जाति– बलाई सा. देह खातेदार 8. हनुमान पुत्र कल्या हिस्सा– 1/10 जाति– बलाई सा. देह खातेदार

PRO/R-970 21/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.......1541..................   दिनांक......21/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बुनियादी गृ0नि0स0समिति** की योजना **हनुमान नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर	20	0.4806	1. गोपाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/25 जाति अहीर (यादव)
	20/426	0.3667	2. जगदीश पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/25 जाति अहीर (यादव)
	21	0.6956	3. प्रकाश पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/25 जाति अहीर (यादव)
	22	1.0749	4. भैरू पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव)
	23	0.4047	5. भंवरलाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव)
	24	0.8220	6. भौरीलाल पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव)
	25	0.0379	7. मदनलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/25 जाति अहीर (यादव)
	26	0.5311	8. राजेश पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/25 जाति अहीर (यादव)
	27	0.4047	9. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव)
	28	1.0244	सा. देह खातेदार
	29	0.5817	
	30	0.5691	
ग्राम बडारामा तहसील जयपुर	280/1	3.9710	1. गोपाल पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)
	281/1	0.3288	2. नानूराम पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)
	284	0.4300	3. प्रभूनारायण पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)
	285	0.1012	4. मांगीलाल पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर (यादव)
			सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ड्डा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक......21/7/22..........को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-965 21/7/22

Sd/

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर